मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

7953

क्र. / वित्त एवं लेखा / एनआर–4 / NREGS-M.P. / 2010 भोपाल, दिनांक 28/07/10

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक *महत्वपूर्ण पत्र*

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.

जिला समस्त (म.प्र.)

विषय :– कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक के कर्त्तव्य।

––0––

अधीनियम की धारा 14 के अंतर्गत इस योजना के संचालन हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक को उत्तरदायी बनाया गया है। अनुभव में यह आया है कि परिषद् मुख्यालय से चाही गई विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियों एवं अभिलेखों आदि पर जिला कार्यक्रम समन्वयक के हस्ताक्षर नहीं होते हैं या यह भी दर्शित नहीं होता है कि भेजी गई जानकारी उनके स्वयं के द्वारा अनुमोदित है या नहीं।

आप सहमत होंगे कि परिषद् का मुख्य दायित्व योजना का समन्वयन एवं पर्यवेक्षण है एवं जिले से जानकारियां प्राप्त न होने अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर विसंगतिपूर्ण स्थिति निर्मित होती है। साथ ही योजना का निर्वहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आपका उत्तरदायित्व है अतः परिषद् को भेजी जाने वाली जानकारी / अभिलेख आपके संज्ञान में होना ही चाहिए।

इस परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में परिषद् मुख्यालय को भेजे जाने वाली जानकारी / अभिलेख आदि आपके ही हस्ताक्षर से भेजी जाये। कतिपय प्रकरण जहां पर कि आपकी अन्यत्र व्यस्तता है एवं ऐसे अपवादात्मक प्रकरणों में आपके अनुमोदनोपरांत जानकारियां भेजी जाये परंतु ऐसे प्रकरण अत्यन्त नगण्य ही होंगे।

28/7/10

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

7954

पृ.क्र. / वित्त एवं लेखा / एनआर–4 / NREGS-M.P / 2010 भोपाल, दिनांक 28/07/10

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त समस्त की ओर सूचनार्थ।

28/7/10.

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल